

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमति क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक “छत्तीसगढ़/दुर्ग/
तक. 114-009/2003/20-1-03.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 191]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 14 जुलाई 2006—आषाढ़ 23, शक 1928

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग

सिविल लाइन, जी. ई. रोड, रायपुर (छ. ग.)

रायपुर, दिनांक 18 अक्टूबर 2005

क्रमांक 10/छ. रा. वि. नि. आ./2005.—विद्युत अधिनियम 2003 (वर्ष 2003 का क्रमांक 36) की धारा (181) (2) की उपधारा (जेडके), सहपाठित धारा 91 (2) एवं (3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए और छत्तीसगढ़ शासन की स्वीकृति से छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है :—

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति एवं सेवा शर्तें) विनियम—2005

अध्याय 1. प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ :

- (1) ये विनियम छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (अधिकारी एवं कर्मचारियों की नियुक्ति एवं सेवा शर्तें) विनियम—2005 कहलाएगा।
- (2) ये विनियम छत्तीसगढ़ राजपत्र में उनके प्रकाशन के दिनांक से प्रभावशील होंगे।

2. विनियम का विस्तार :

ये विनियम आयोग के सचिव सहित, सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर लागू होंगे ।

3. परिभाषाएँ :

- (1) इन विनियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो
- (ए) "केन्द्रीय अधिनियम" से अभिप्रेत है विद्युत अधिनियम 2003 (वर्ष 2004 का क्रमांक 36)
- (बी) "आयोग" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग,
- (सी) "अध्यक्ष" से अभिप्रेत है आयोग का अध्यक्ष,
- (डी) "सदस्य" से अभिप्रेत है आयोग का सदस्य,
- (ई) "नियुक्तिकर्ता" से अभिप्रेत है इस विनियम के परिषिष्ठ-2 में दर्शायेनुसार नियुक्त करने वाला,
- (एफ) "राज्य शासन" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन,
- (जी) "सचिव" से अभिप्रेत है आयोग का सचिव,
- (एच) "वर्ष" से अभिप्रेत है वित्तीय वर्ष (01 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक),
- (2) ऐसे शब्द तथा अभिव्यक्तियाँ जिनका उपयोग इन विनियमों में किया गया है और जो इनमें परिभाषित नहीं किये गये हैं, परंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, उनका वही अर्थ होगा जैसा कि अधिनियम में है ।

अध्याय-2 पदों की संख्या एवं वर्गीकरण

4. अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या एवं उनका वर्गीकरण

- (1) आयोग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की संख्या एवं वर्गीकरण परिषिष्ठ-1 में दर्शाये अनुसार होगा ।
- (2) राज्य शासन से अनुमोदित होने की शर्त पर आयोग समय-समय पर परिषिष्ठ-1 में दर्शित अधिकारियों एवं कर्मचारियों की संख्या में परिवर्तन, एवं उसे बढ़ा, घटा या समाप्त कर सकता है एवं पदों को पुनः वर्गीकृत कर सकता है ।
- (3) आयोग, स्वयं द्वारा निर्धारित मानदेय एवं शर्तों पर उसकी सहायता हेतु सलाहकार एवं परामर्शदाताओं की नियुक्ति संविदा के आधार पर भी कर सकता है ।

5. पदों का भरा जाना

आयोग के लिये कंडिका-4 (1) के अनुसार प्रत्येक संवर्ग के सभी पदों पर हर समय अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवाएँ लेने की बाध्यता नहीं होगी ।

अध्याय 3 : नियोजन

6. अधिकारियों / कर्मचारियों का नियोजन

- (1) एक अधिकारी/कर्मचारी को उसके श्रेणी के अनुसार उसकी योग्यता एवं उपयोगिता को देखते हुए, वह जिस पद पर नियुक्त हुआ है उसके अतिरिक्त अन्य किसी पद पर भी नियोजित किया जा सकता है बशर्ते की वह पद रिक्त हो और उस पद पर सेवाओं की आवश्यकता हो ।
- (2) किसी अधिकारी/कर्मचारी को यदि एक या एक से ज्यादा पदों की जिम्मेदारी दी जाती है तो उसे कोई अतिरिक्त पारिश्रमिक नहीं दिया जावेगा ।

अध्याय 4 : नियुक्ति एवं सेवा की अन्य शर्तें

7. नियुक्ति का तरीका

- (1) आयोग में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भर्ती निम्नलिखित तरीके से होगी :-
 - (i) सीधी भर्ती से,
 - (ii). पदोन्नती से, और
 - (iii) केन्द्र/राज्य शासन/शासन के उपक्रमों से प्रतिनियुक्ति पर ।
- (2) अधिकारियों/कर्मचारियों की भर्ती परिषिष्ठ-1 (अ) और (ब) में दर्शाये गये तरीकों से किया जावेगा ।
- (3) आयोग के अधिकारियों/कर्मचारियों के नियुक्तिकर्ता अधिकारी, अनुशासनात्मक अधिकारी, अपील अधिकारी, एवं पुनर्विचार अधिकारी, परिषिष्ठ-2 में दर्शाये अनुसार होंगे ।
- (4) इस विनियम के बनाये जाने के पहले आयोग द्वारा नियुक्ति किये गये व्यक्ति यदि उस पद के लिए निर्धारित योग्यता को पूरा करते हैं और निर्धारित अधिकतम आयु से कम हैं तो वे भी सीधी भर्ती हेतु पात्र होंगे ।
- (5) विभिन्न पदों के लिए आवश्यक योग्यता एवं अनुभव परिषिष्ठ-3 में दर्शाये अनुसार होगा, फिर भी आयोग यदि चाहे तो लिखित में कारण बताते हुए उपयुक्त प्रकरण में पद एवं व्यक्ति को देखते हुए नियुक्ति के लिए निर्धारित योग्यता में छूट दे सकता है ।
- (6) आयोग द्वारा समय-समय पर की गई प्रत्येक नियुक्ति, चरिंत्र एवं पूर्ण आचरण की जाँच के पश्चात् होगी जैसा की आयोग द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये जाय ।

8. चयन समिति का गठन

- (1) परिषिष्ठ-1 के खण्ड (अ) में दर्शाये गये पदों पर सीधी भर्ती के लिए एक चयन समिति निम्नानुसार गठित होगी जो की उम्मीदवारों का चयन करने हेतु सिफारिश करेगी, :-
 - (i) अध्यक्ष आयोग के अध्यक्ष होंगे,
 - (ii) आयोग के सदस्य, और
 - (iii) आयोग द्वारा सदस्य के रूप में नामांकित एक या एक से अधिक विषय विशेषज्ञ, और

(iv) आयोग के सचिव अथवा सचिव की अनुपस्थिति में आयोग के वरिष्ठतम संचालक समिति के प्राधिकृत संयोजक होंगे

(2) परिषिष्ठ-2 के खण्ड (ब) में दर्शाये गये पदों पर सीधी भर्ती के लिए एक चयन समिति निम्नानुसार गठित होगी जो की उम्मीदवारों का चयन करने हेतु सिफारिश करेगी :—

- संचालकों एवं सचिव में से वरिष्ठतम अधिकारी समिति का अध्यक्ष होगा,
- सचिव / संचालक, और
- सदस्य के रूप में संयुक्त संचालक,
- अध्यक्ष द्वारा नामांकित उप सचिव अथवा कोई भी अन्य अधिकारी प्राधिकृत संयोजक होंगे।

(3)

- चयन समिति की सिफारिशें अंतिम होंगी एवं छ: माह के लिए, या उस अवधि हेतु जैसा कि आयोग द्वारा आदेशित हो, वैध होंगी।
- उपयुक्त प्रकरणों में समिति किसी पद के लिए स्वीकृत वेतन से उच्चतर वेतन या उस पद के वेतनमान के उच्चतर स्तर की अनुशंसा आयोग को विचार हेतु कर सकती है।

(4) आयोग, द्वारा चयन समिति के लिए कार्य पद्धति बनाई जा सकती है।

9. आयु सीमा :

सहायक ग्रेड-III, कम्प्यूटर सहायक, स्टेनो-टायपिस्ट, ड्राइवर, भूत्य और समकक्ष श्रेणी के कर्मचारियों के पदों पर सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा राज्य शासन में लागू नियमानुसार होगी। दूसरे पदों पर सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा आयोग द्वारा पदों के लिये आवश्यक कार्य अनुभव को देखते हुए तय की जा सकती है।

10. आवेदन :

सीधी भर्ती में भरे जाने वाले पदों की संख्या आयोग द्वारा निर्धारित की जावेगी और रिक्त पदों पर योग्य उम्मीदवारों के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से एवं रोजगार कार्यालय के द्वारा उपयुक्त उम्मीदवार के नाम प्राप्त कर की जा सकती है।

11. प्रमाण पत्र :

आयोग में किसी भी पद पर सीधी भर्ती हेतु उम्मीदवारों को निम्नलिखित दस्तावेज़ / प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा :—

- शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव से संबंधित प्रमाण पत्र,
- प्रथम नियुक्ति के मामले में उस शैक्षणिक संस्था जहाँ अंतिम बार अध्ययन किया गया हो अथवा उस शासकीय / सार्वजनिक उपक्रम जहाँ पूर्व में सेवा की गई हो, से चरित्र एवं व्यवहार प्रमाण पत्र,
- अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जन-जातियाँ, पिछड़ा वर्ग एवं अन्य आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को राज्य शासन के नियमानुसार प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी

(4) किया गया जाति प्रमाण—पत्र, एवं
राज्य शासन के नियमानुसार निवास प्रमाण पत्र।

12. आवेदन पत्रों की जाँच :

आयोग द्वारा आवेदन पत्र के जँच के उपरान्त योग्य आवेदन से छटनी के उपरान्त उम्मीदवारों का साक्षात्कार लिया जावेगा। रिक्त पदों की संख्या के आधार पर उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जावेगा।

13. उम्मीदवारों का चयन :

चयन समिति उम्मीदवारों की वरीयता के आधार पर सिफारिश की गई सूची के अनुरूप ही सिफारिश करेगी।

14. नियुक्तियाँ :

- (1) चयन समिति द्वारा वरीयता के आधार पर सिफारिश की गई सूची के अनुरूप ही सभी नियुक्तियाँ की जावेगी। सभी चयनित उम्मीदवारों को जो पहले शासकीय/शासकीय उपक्रम में कार्यरत न हो, को नियुक्त के लिए आयोग द्वारा नियांरित मैडिकल बोर्ड द्वारा जारी रखारख्य प्रमाण—पत्र और चरित्र प्रमाणिकरण कंडिका 7 (6) के अनुरूप प्रस्तुत करना होगा।

15. परिवीक्षा :

- (1) सभी सीधी भर्ती परिवीक्षा के आधार पर दो वर्ष के लिए होगी।
- (2) परिवीक्षा की समयावधि में अधिकारी एवं कर्मियों को अर्जित अवकाश, असाधारण अवकाश व चिकित्सी अवकाश की पात्रता राज्य शासन के समकक्ष अधिकारियों एवं कर्मियों को मिलने वाली सुविधा के अनुरूप रहेगी। लेकिन परिवीक्षा अवधि के दौरान सेवा में अनाधिकृत अनुपस्थिति परिवीक्षा की समयावधि में शामिल नहीं होगी।
- (3) यदि आयोग की दृष्टि में सीधी भर्ती से नियुक्त कर्मचारी अपनी परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूर्ण नहीं किया है तो आयोग परिवीक्षा अवधि को एक वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए एक या एक से अधिक किस्तों में बढ़ा सकता है। यदि बढ़ाई गई अवधि में भी कार्य संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो आयोग ऐसे अधिकारी/कर्मचारी को सेवा से हटा सकता है।
- (4) ऐसे कर्मचारी जो परिवीक्षा अवधि में हैं, की सेवा आयोग एक माह की नोटिस देकर समाप्त कर सकता है।

(5) यदि आयोग में शासकीय/सार्वजनिक उपक्रम से किसी व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है तो वह व्यक्ति आयोग की सेवा में स्थाई होने तक पूर्व नियोक्ता में अपना लीयन (lien) रख सकेगा।

16. रिक्तियों का आरक्षण :

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्प संख्यक/अन्य श्रेणी के उम्मीदवारों हेतु पदों के आरक्षण एवं आयु सीमा से संबंधित छूट राज्य शासन द्वारा निर्धारित नियम एवं समय-समय पर जारी दिशा निर्देश के अनुसार होंगे एवं इन विनियमों से प्रभावित नहीं होंगे।

17. प्रशिक्षण :

(1) सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को आयोग द्वारा आयोजित आंतरिक एवं बाह्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं उन्नयन पाठ्यक्रमों में शामिल होना होगा।

(2) प्रशिक्षण/उन्नयन पाठ्यक्रमों में शामिल होने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को एक निर्धारित अवधि की सेवा के लिए आयोग से अनुबंध करना होगा जो की एक माह की प्रशिक्षण हेतु एक वर्ष तक की अवधि से अधिक का नहीं होगा। यह अनुबंध अवधि, प्रशिक्षण पूर्ण होने के पश्चात् अधिकतम दो वर्ष तक का होगा। आयोग में अनुबंधित अवधि तक सेवा में न रहने पर अधिकारी/कर्मचारियों को प्रशिक्षण पर होने वाला व्यय तथा इस अवधि के समस्त वेतन एवं भत्ते आयोग को लौटाना पड़ सकता है।

(3) प्रशिक्षण के दौरान किसी तरह के दुराचरण/दुर्व्यवहार के दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण से वापस बुलाने एवं उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का अधिकार आयोग के पास होगा। आयोग ऐसे दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर होने वाले समस्त व्यय की वापसी हेतु निर्णय ले सकता है।

18. पदोन्नति :

पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों का विवरण एवं पदोन्नति का क्रम परिशेष्ठ-4 में दर्शाये अनुसार होगा।

सभी पदोन्नतियाँ पिछले 5 वर्षों की गोपनीय चरित्रावलियों में प्रतिबिम्बित कार्यों की गुणवत्ता के आधार पर होगी। पदोन्नति हेतु उम्मीदवारों की चयन सूची उसी चयन समिति के द्वारा तैयार की जावेगी जिसका गठन इस विनियम की कंडिका 8 में सीधी भर्ती हेतु किया गया है।

19. सेवानिवृत्ति :

समस्त अधिकारी/कर्मचारी अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर राज्य शासन के नियमों के अनुसार आयोग की सेवा से सेवानिवृत्त होंगे।

20. आयोग अपनी आवश्यकतानुसार समय-समय पर निर्धारित नियमों एवं शर्तों पर संविदा अथवा दैनिक वेतन पर कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकता है । दैनिक वेतन पर कार्यरत कर्मचारी यदि उपयुक्त पाये जाते हैं तो आयोग उन्हें संविदा पर भी नियुक्त कर सकता है ।

21. किसी अधिकारी/कर्मचारी की संविदा नियुक्त अथवा प्रतिनियुक्त संबंधी सेवा शर्तों आयोग निर्धारित करेगा जो की सामान्यतः राज्य शासन के निर्धारित सेवा शर्तों के अनुरूप होगा ।

अध्याय 5 : पारिश्रमिक एवं अन्य लाभ

22. वेतनमान :

- (1) आयोग के अधिकारियों/कर्मचारियों को वेतनमान परिशोष्ट-1 में दर्शाये अनुसार होगा । भूत्य, वाहन चालक एवं इसी श्रेणी के अन्य कर्मचारी जो दैनिक वेतन पर नियुक्त किये जाएंगे उन्हें कलेक्टर रायपुर द्वारा समय-समय पर निर्धारित दर के अधार पर वेतन प्रदान किया जाएगा ।
- (2) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों की पारिश्रमिक एवं अन्य भत्ते आयोग द्वारा निर्धारित किये जाएंगे ।
- (3) आयोग के अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतनमान का पुनर्निधारण राज्य शासन में उसी वेतनवर्ग/वेतनमान के पुनर्निधारण अनुसार होगा ।
- (4) आयोग में नियमित स्थापना में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को आयोग द्वारा समय-समय पर निर्धारित गृह भाड़ा भत्ता तथा चिकित्सा भत्ता आदि प्राप्त करने की पात्रता होगी ।
- (5) राज्य शासन के अधिकारियों/कर्मचारियों के समान आयोग के अधिकारियों/कर्मचारियों को ब्याज सहित/ब्याज मुक्त ऐसे अग्रिम प्राप्त करने की पात्रता होगी जेसा कि आयोग द्वारा निर्धारित हो ।
- (6) केन्द्र शासन/राज्य शासन/सार्वजनिक उपकरणों/शासन की स्वायत्त संस्थाओं से प्रति नियुक्ति पर लिये जाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रति नियुक्ति भत्तों का निर्धारण आयोग द्वारा किया जावेगा ।

23. सेवानिवृत्ति / अधिवार्षिक लाभ :

- (1) आयोग के अधिकारियों/कर्मचारियों को आयोग द्वारा निर्धारित सेवानिवृत्ति /अधिवार्षिकीय लाभ प्राप्त करने की पात्रता होगी ।
- (2) छत्तीसगढ़ शासन/केन्द्र शासन/अन्य राज्य शासन/सार्वजनिक उपकरणों से आयोग में संविलियन किये गये अधिकारियों/कर्मचारियों को उपरोक्त उप कार्डिका-1 में उल्लेखित प्रावधानुसार सेवानिवृत्ति पर प्रदान किये जाने वाले लाभ की गणना, उनके पूर्व सेवा काल हेतु पूर्व नियोक्ता की सहमति से निर्धारित अनुपातिक सेवानिवृत्ति लाभ के दायित्वों को ध्यान में रखकर दिया जावेगा ।

अध्याय 6 : विविध

24. संविदा सेवा

आवश्यकता पड़ने पर एवं उपयुक्त लिखित कारणों के अध्यधीन आयोग में रिक्त पदों पर कर्मचारियों की नियुक्ति संविदा आधार पर किया जा सकता है और यह भर्ती सामान्यतः एक समय एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये नहीं होंगी और इस प्रकार नियुक्ति की अधिकतम अवधि 3 वर्षों की होगी किन्तु कुछ विशिष्टे प्रकरणों में आयोग इस अवधि को 5 वर्ष तक बढ़ा सकता है।

25. शिथलीकरण के अधिकार :

आयोग जनहित में एवं आवश्यक कारणों का उल्लेख करते हुए इन विनियमों में शिथलीकरण कर सकता है। इसमें आयोग के पदों पर नियुक्ति हेतु निर्धारित आर्हता का शिथलीकरण भी शामिल होगा।

26. निर्वचन :

यदि इन विनियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो वह आयोग द्वारा निर्णय लिया जा सकेगा और यह निर्णय अंतिम होगा। विनियमों को लागू करने में किसी तरह की कठिनाईयों को दूर करने का अधिकार आयोग को होगा।

27. छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 का लागू होना

- (1) आयोग के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को इन विनियमों के अध्यधीन, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा सामान्य शर्तें) नियम 1961 और यथासमय-समय पर जारी संशोधित प्रावधान लागू होंगे।
- (2) राज्य शासन द्वारा बनाये गये अन्य प्रासंगिक नियम भी आयोग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर लागू होंगे जो इन विनियमों के अतिरिक्त हों।

आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता. /-

(एन. के. रूपवानी)

सचिव,

परिशिष्ट-1

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग में अधिकारियों एवं
कर्मचारियों का वर्गीकरण एवं पदों की संख्या

खण्ड-“अ”

अधिकारियों की भर्ती की प्रक्रिया और वेतनमान

क्र.	पदनाम	पदों की संख्या	वर्ग (छ.ग. शासन के वर्गीकरण के अनुसार)	वेतनमान (रु. में)	भर्ती का प्रकार
1.	सचिव	1	प्रथम	18400-500-22400	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति
2.	संचालक (इंजीयनियरिंग)	1	तदैव	तदैव	तदैव
3.	संचालक (टैरिफ)	1	तदैव	तदैव	तदैव
4.	संयुक्त संचालक (इंजीयनियरिंग)	1	तदैव	12000-375-16500	तदैव
5.	संयुक्त संचालक (टैरिफ)	1	तदैव	तदैव	तदैव
6.	उप सचिव	1	तदैव	तदैव	तदैव
7.	उप संचालक (इंजीयनियरिंग)	1	तदैव	10000-335-15200	सीधी भर्ती
8.	उप संचालक (टैरिफ)	1	तदैव	तदैव	तदैव
9.	वित्तीय विश्लेषक	1	तदैव	तदैव	तदैव
10.	विधि अधिकारी	1	तदैव	तदैव	तदैव

खण्ड—“ब”
कर्मचारियों की भर्ती की प्रक्रिया और वेतनमान

क्र.	पदनाम	पदों की संख्या	वर्ग (छ.ग. शासन के वर्गीकरण के अनुसार)	वेतनमान (रु. में)	भर्ती का प्रकार
1.	निज संचिव	02	तृतीय	6500—200—10500	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति
2.	निज सहायक	02	तृतीय	5500—175—9000	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति
3.	कनिष्ठ लेखा अधिकारी	01	तृतीय	5000—150—8000	सीधी भर्ती
4.	सहायक ग्रेड-2/ कैशियर	02	तृतीय	4000—100—6000	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति
5.	सहायक ग्रेड-3	03	तृतीय	3050—75—3950—80—4590	सीधी भर्ती
6.	कम्प्यूटर सहायक	04	तृतीय	3500—80—4700—100—5200	सीधी भर्ती
7.	स्टेनोटायपिस्ट	02	तृतीय	3050—75—3950—80—4590	सीधी भर्ती
8.	वाहन चालक ग्रेड-1	02	तृतीय	3050—75—3950—80—4590	पदोन्नति
9.	वाहन चालक ग्रेड-2	02	तृतीय	2610—60—3150—65—3540	सीधी भर्ती
10.	भूत्य	07	चतुर्थ	2550—55—2660—60—3200	सीधी भर्ती

परिशिष्ठ-2

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग में अधिकारियों एवं
कर्मचारियों के नियुक्ति प्राधिकारी, अनुशासनिक प्राधिकारी, अपील
प्राधिकारी एवं समीक्षा प्राधिकारी

विवरण	परिशिष्ठ-1 के खण्ड 'अ' में सम्मिलित अधिकारियों के लिए	परिशिष्ठ-2 के खण्ड 'ब' में सम्मिलित कर्मचारियों के लिए
(1) नियुक्ति प्राधिकारी	आयोग	अध्यक्ष
(2) अनुशासनिक प्राधिकारी,	अध्यक्ष	सचिव
(3) अपील प्राधिकारी	आयोग	अध्यक्ष
(4) समीक्षा प्राधिकारी	—	आयोग

परिशिष्ट-3
सीधी भर्ती वाले पदों के लिए योग्यता एवं अनुभव

क्र.	पदनाम	न्यूनतम आवश्यक योग्यता एवं अनुभव	चाही गई अतिरिक्त योग्यता / अनुभव
01	उप संचालक (इंजीनियरिंग)	<p>(ए) इलेक्ट्रिकल या मेकेनिकल इंजीनियरिंग में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक</p> <p>(बी) विद्युत उत्पादन एवं उसकी उपयोगिता के क्षेत्र में 10-12 वर्ष का अनुभव</p> <p>(सी) विद्युत उत्पादन संयंत्र की योजना, रूपरेखा एवं संधारण का अनुभव</p> <p>(डी) लेखन एवं बोलचाल का अनुभव</p>	<p>(ए) मापदण्डों का विश्लेषण एवं विद्युत उत्पादन मापदण्डों को नियंत करने एवं व्याख्या करने का ज्ञान</p> <p>(बी) विद्युत नियम एवं विद्युत क्षेत्र में सुधार की जानकारी</p> <p>(सी) कम्प्यूटर साक्षरता</p>
02	उप संचालक (टैरिफ)	<p>(ए) इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक</p> <p>(बी) विद्युत मंडल/विद्युत उपयोगिता के क्षेत्र में वाणिज्य संबंधी एवं विद्युत दरों के निर्धारण के क्षेत्र में 10-12 वर्ष का अनुभव</p> <p>(सी) पारेषण एवं वितरण तंत्र, नेटवर्क की उपलब्धता एवं लोड फ्लो की रूपरेखा, योजना एवं संचालन का अनुभव</p> <p>(डी) वाणिज्य एवं वित्तीय विश्लेषण में कुशलता</p> <p>(ई) लेखन एवं बोलचाल का अनुभव</p>	<p>(ए) विद्युत उपयोगिता के क्षेत्र में वित्त एवं लेखा की जानकारी</p> <p>(बी) विद्युत क्रय, विद्युत क्रय अनुबंध, वाणिज्यिक मामले एवं विद्युत दर विकसित करने का अनुभव</p> <p>(सी) विद्युत नियम एवं विद्युत क्षेत्र में सुधार की जानकारी</p> <p>(डी) कम्प्यूटर साक्षरता</p>
03	वित्तीय विश्लेषक	<p>(ए) एम.बी.ए.(वित्त) या सी.ए./आई.सी.डब्ल्यू.ए./सी.एफ.ए.</p> <p>(बी) 10-12 वर्ष का कार्य क्षेत्र में अनुभव</p> <p>(सी) वित्तीय विवरण के विश्लेषण एवं व्याख्या का पूर्ण ज्ञान</p> <p>(डी) लागत विश्लेषण एवं लेखा का अनुभव</p> <p>(ई) कम्प्यूटर में एम.एस.ऑफिस/स्प्रेडशीट एवं डाटाबेस में कार्य करने में कुशलता</p> <p>(एफ) अच्छे लेखन एवं बोलचाल का अनुभव</p>	<p>(ए) ऊर्जा क्षेत्र में वाणिज्यिक ज्ञान एवं तत्सम्बंध में व्याख्या करने का ज्ञान एवं अनुभव</p> <p>(बी) मूल्यांकन एवं विद्युत दर निर्धारण की जानकारी</p>

04	विधि अधिकारी	(ए) किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक की उपाधि (बी) वकालत करने की पात्रता (सी) कम से कम पांच वर्ष का व्यवसायिक अनुभव (डी) अच्छे लेखन एवं बोलचाल का अनुभव	(ए) विद्युत क्षेत्र का ज्ञान और/अथवा, अनुभव (बी) विनियामक नियमों की अथवा किसी यूटिलिटी का अनुभव (सी) कम्प्यूटर साक्षर
05	कनिष्ठ लेखाधिकारी	(ए) किसी भी विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि (बी) राज्य लेखा, कोषालय संचालन, आडिट, बजट, वेतन बिल एवं लेखा संधारण कार्य करने का पांच वर्ष का अनुभव।	(ए) अच्छे लेखन एवं बोलचाल की भाषा में दक्षता। (बी) कम्प्यूटर में कार्य करने का अनुभव
06	सहायक ग्रेड-3	(ए) किसी भी विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि (बी) किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से हिन्दी/अंग्रेजी टायपिंग परीक्षा उत्तीर्ण	(ए) अच्छे लेखन एवं बोलचाल में दक्षता (बी) कम्प्यूटर साक्षरता
07	स्टेनो टायपिस्ट	(ए) किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि (बी) किसी भी मान्यता प्राप्त मंडल से शीघ्रलेखन एवं हिन्दी/अंग्रेजी टायपिंग परीक्षा उत्तीर्ण (सी) कम्प्यूटर पर कार्य करने का ज्ञान एवं अनुभव।	(ए) मान्यता प्राप्त मंडल से शीघ्रलेखन में गति 60 शब्द प्रति मिनट एवं हिन्दी, अंग्रेजी मुद्रणलेखन 25/40 शब्द प्रति मिनट का अनुभव (बी) द्वि-भाषीय शीघ्रलेखन वाले व्यक्ति को प्राथमिकता।
08	कम्प्यूटर सहायक	(ए) किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि एवं किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से पीजीडीसीए/पीजीडीसीएम	(ए) अच्छे लेखन एवं बोलचाल में दक्षता (बी) कम्प्यूटर हार्डवेयर, नेटवर्किंग, वेबसाइट में अच्छा ज्ञान रखने वाले एवं अंग्रेजी टायपिंग परीक्षा पास व्यक्ति को प्राथमिकता दी जावेगी।

अथवा

		<p>(ए) किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर में स्नातक / बी.सी.ए.</p> <p>(बी) कम्प्यूटर के क्षेत्र में किसी भी बड़े कार्यालय में 3 वर्ष का कार्य अनुभव</p>	
09	वाहन चालक ग्रेड-2	<p>(ए) किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम आठवीं पास</p> <p>(बी) हल्के वाहन चलाने का पांच साल पुराना ड्राइविंग लायसेंस होना चाहिए</p> <p>(सी) वाहन चलाने का दो वर्ष का अनुभव</p>	
10	भृत्य	किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम आठवीं पास	—

परिशिष्ट-4

पदोन्नति से भरे जाने वाले पद एवं उनका पदोन्नति का क्रम

क्र.	पदोन्नत पद	पद जिनसे पदोन्नत किया जावेगा	पात्रता
1	सचिव	उप सचिव संयुक्त सचालक (इंजीयनियरिंग) संयुक्त सचालक (टैरिफ)	5 वर्ष
2	सचालक (इंजीयनियरिंग)	संयुक्त सचालक (इंजीयनियरिंग)	5 वर्ष
3	सचालक (टैरिफ)	संयुक्त सचालक (टैरिफ)	5 वर्ष
4	संयुक्त सचालक (इंजीयनियरिंग)	उप सचालक (इंजीयनियरिंग)	5 वर्ष
5	संयुक्त सचालक (टैरिफ)	उप सचालक (टैरिफ)	5 वर्ष
6	निज सचिव	निज सहायक	5 वर्ष
7	सहायक ग्रेड-2	सहायक ग्रेड-3	3 वर्ष
8	वाहन चालक ग्रेड-1	वाहन चालक ग्रेड-1	3 वर्ष

Raipur, the 18th October 2005

No. 16/CSERC/2005.— In exercise of the powers conferred by clause (zk) of Sub-section (2) of Section 181 read with Section 91 (2) & (3) of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), and with the approval of the Government of Chhattisgarh, the Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission hereby makes the following regulations; namely :—

Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (Recruitment and conditions of service of officers and employees) Regulations, 2005.

CHAPTER-I (PRELIMINARY)

1. Short Title and Commencement

- (1) These Regulations may be called the Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (Recruitment and conditions of service of officers and employees) Regulations, 2005.
- (2) *They* shall come into force with effect from the date of their publication in the *official Gazette*.

2. Scope of Application

These regulations shall apply to all officers and employees of the Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission including the Secretary of the Commission.

3. Definitions

- (1) In these regulations, unless the context otherwise requires:—
 - (a) 'Central Act' means Electricity Act, 2003, (No. 36 of 2003);
 - (b) 'Commission' means the Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission;
 - (c) 'Chairman' means the Chairman of the Commission;
 - (d) 'Member' means the Member of the Commission;
 - (e) 'Appointing Authority' means the appointing authority as specified in Annexure-II to these regulations.
 - (f) 'State Government' means the Government of Chhattisgarh.
 - (g) 'Secretary' means the Secretary of the Commission.
 - (h) 'Year' means financial year (1st April to 31 March).
- (2) Words and expressions used in these regulations but not defined, unless the context otherwise requires, shall have the same meaning as respectively assigned to them in the Electricity Act, 2003.

CHAPTER-II - CATEGORISATION AND NUMBER OF POSTS

4. Categorization and Strength of Officers and Employees

- (1) The number, and categories of officers and employees of the Commission shall be as specified in Annexure -I.
- (2) Subject to the approval of the State Government, the Commission may from time to time, change, increase, reduce, abolish, or re-categorize the officers and employees specified in Annexure-I,

(3) The Commission may also appoint on contract basis, for any suitable period, Advisors and avail of the services of Consultants, to assist the Commission, on such remuneration and other terms and conditions as may be decided by the Commission.

5. Filling up of the posts

Nothing in sub-clause (1) of Clause-4 shall be construed as requiring the Commission to have the officers/employees serving in all the categories of posts at all times.

CHAPTER-III - PLACEMENT

6. Placement of Officers / Employees

- (1) Subject to exigencies of service or availability of posts, an officer/employee may be placed in any post other than the post to which he has been appointed, depending on his qualification and suitability corresponding to his grade.
- (2) Any officer or employee may be required to hold more than one post for which no extra remuneration may be paid.

CHAPTER -IV - RECRUITMENT AND OTHER CONDITIONS OF SERVICE

7. Mode of Appointment

- (1) Recruitment of officers and employees of the Commission shall be through the following modes:
 - (i) direct recruitment,
 - (ii) promotion, and
 - (iii) deputation from the Central/State Government/Government undertakings.
- (2) The method of recruitment of officers and employees shall be as specified in Part-A and Part-B of Annexure-I.
- (3) The appointing authority, disciplinary authority, appellate authority and reviewing authority in respect of officers and employees of the Commission, shall be as specified in Annexure-II.
- (4) The persons employed by the Commission prior to commencement of these regulations shall be eligible for being considered, for the purpose of direct recruitment to various grades irrespective of their age but subject to upper age limit prescribed in these regulations, provided they fulfill the prescribed eligibility criteria for the post.
- (5) The qualification and experience *required for various posts shall be* as prescribed in Annexure III. However, the Commission after recording reasons in writing, may relax the eligibility criteria for appointment, in respect of posts and persons, in appropriate cases.
- (6) All appointments shall be a subject to verification of character and antecedents as may be decided by the Commission from time to time.

8. Constitution of Selection Committee

- (1) There shall be Selection Committee to consider and recommend candidates for appointment by direct recruitment to the posts mentioned in Part A of Annexure-I, consisting of the following:-
 - (i) Chairman of the Commission as its Chairman,
 - (ii) Member of the Commission, and
 - (iii) One or more experts / specialists of the subjects to be nominated by the Commission as members; and
 - (iv) Secretary of the Commission or senior most Director; in the absence of Secretary, as the Convenor of the Committee.
- (2) There shall be a Selection Committee to consider and recommend candidates for appointment by direct recruitment to the posts mentioned in Part-B of the Annexure-I, which shall consist of the following: -
 - (i) Senior most officer amongst the Directors and Secretary, as its Chairman,
 - (ii) Secretary/ Director, and
 - (iii) Jt. Director, as members.
 - (iv) Deputy Secretary or any other officer nominated by the Chairman *will be* the convenor of the Committee.
- (3) (i) The recommendation of the Selection Committee shall be final and remain valid for a period of 6 months or for a longer period as may be decided by the Commission.
- (ii) The Committee may in suitable cases recommend higher pay than the pay which a post carries or at a higher stage in the pay scale of the post for consideration of the Commission.
- (4) The Commission may lay down the procedure to be followed by the Selection Committee.

9. Age limit

The age limit for direct recruitment to the posts of Asstt Grade-III, Computer Assistant, Steno Typist, Driver, Peon and similar categories of employees shall be as per the prevailing rules of the State Government. *The age limit for other posts to be filled by direct recruitment may be decided by the Commission keeping in view the years of professional experience required for the post.*

10. Application

The Commission may decide the number of vacancies to be filled by direct appointment and may invite applications from candidates eligible for appointment through advertisement in news papers or *call for names of eligible candidates* from Employment Exchange.

11. Certificates

The candidates for direct recruitment to any post in the Commission shall submit application along with the following documents: -

- ❖ (1) the evidence of possessing the requisite educational qualification and experience;
- (2) certificate of character and conduct from the educational institution last attended *in case of first appointment or* from the concerned Government / Public Sector Undertaking if he has served in these;
- (3) the proof of age, which shall be the School / High School/ Higher Secondary School Certificate *or certificate from* Municipal Corporation / Municipal committee;
- (4) certificate from the competent authority as per the rules of the State Government, in case of candidates belonging to S.C., S.T., O.B.C., or any other reserved category; and
- (5) domicile certificate as applicable as per the State Government rules.

12. Processing of Applications

After scrutiny, the Commission shall consider all the valid applications and shall interview the short-listed candidates. The number of candidates to be called for interview may be decided taking into account the number of vacancies for which recruitment is being made.

13. Selection of candidates

The Selection Committee shall recommend the candidates in order of merit to the appointing authority.

14. Appointment .

- (1) All appointments shall be made on the basis of merit, as recommended by the Selection Committee.
- (2) Every candidate selected for appointment, having not been in the service of Government / Govt. undertaking, shall be appointed subject to their medical fitness to be certified by a Medical Board as may be appointed by the Commission *and character verification as per clause 7(6) ante.*

15. Probation

- (1) All direct recruits shall be on probation for a period of two years from the date of their appointment.
- (2) During the period of probation, the officers and employees shall be entitled for earned leave, extra-ordinary leave and medical leave at par with such provisions applicable to the officers and employees of the State Government of equivalent rank. However, the period of unauthorised absence during the service shall not be included in the probation period.
- (3) If a direct recruit has not completed his period of probation to the satisfaction of the Commission, the Commission may extend the period of probation upto a maximum period of one year in one or more installments. If the performance, during the extended period also, is not found to be up to the mark, his services shall be liable for termination.
- (4) The Commission may dispense with the services of a probationer after one month's notice.
- (5) If a person serving in the Government or in a Public Sector Undertaking is selected for appointment in the Commission, he may be allowed to keep his lien on the post held just before joining, till confirmation in the Commission.

16. Reservation of Vacancy

Nothing these regulations shall affect the reservation of posts and relaxations in age limit, qualifications etc. required to be provided for candidates belonging to S.C., S.T., O.B.C. or minority / other categories of persons in accordance with the rules and orders issued by the State Government from time to time in this regard.

17. Training

- (1) All officers and employees may be required to undergo such training or orientation course conducted in-house and/or outside, as may be prescribed by the Commission.
- (2) Officers / employees required to undergo training/orientation may be required to execute a bond to serve the Commission for such period as may be prescribed which shall not exceed 12 months for every one month of training subject to a maximum period of two years, after completing the training or course. Failure to serve the Commission for the stipulated period will render the official liable to refund the money spent on training along with the emoluments paid during the period.
- (3) Officers / employees charged with misconduct during the period of training, shall be called back from training and appropriate disciplinary proceedings may be initiated. They may be required to refund the amount spent on the training, if the Commission so decides.

18. Promotion

The posts which may be filled by promotion and the channel of promotion is as given in Annexure-IV.

All promotions shall be on the basis of merit assessed generally from performance as reflected in the confidential reports of the last five years. Selection of candidates for promotion shall be made by the same Selection Committee as constituted in clause 8 of these regulations for the selection of direct recruits.

19. Retirement

Officers/employees shall retire from the service of the Commission on attaining the age of superannuation in accordance with the prevailing rules of the State Government.

20. The Commission may also engage persons on contract or on daily wages as and when considered necessary on the terms and conditions prescribed by the Commission time to time. The persons engaged on daily wages may be considered for appointment on contract basis if found suitable.

21. Specification of conditions of service

The Commission may specify the conditions of service of an officer or an employee appointed on contract or deputation, which will be generally as per the rules of the State Government.

CHAPTER-V-REMUNERATION AND OTHER BENEFITS

22. Pay Scale

- (1) The pay scales of the Officers/employees shall be as given in Annexure-I. For the posts of Peon, Driver and other similar categories, persons engaged on daily wages shall be paid at the rate fixed by the Collector of *Raipur district* from time to time.
- (2) Remuneration and other allowances in respect of persons engaged on contract shall be as decided by the Commission.
- (3) The pay of officers and employees of the Commission may be revised at par with officers/employees of corresponding grade /scale under the State Government.
- (4) The Officers /employees of Commission borne on regular establishment shall be entitled to such allowances including house rent, conveyance and medical allowances, etc. as may be decided by the Commission time to time.
- (5) Officers/employees shall be eligible to receive such interest/non-interest bearing advances admissible to officers/employees of the State Government as may be decided by the Commission.
- (6) The deputation allowance of officers /employees taken on deputation by the Commission from Central Government, State Government, Public Sector Undertaking /Autonomous Bodies of the Government, may be as decided by the Commission.

23. Retirement/Superannuation Benefits

- (1) Officers/ employees of the Commission shall be entitled to such retirement /superannuation benefits as may be decided by the Commission.
- (2) For the officers/employees absorbed in the Commission from the Government of Chhattisgarh/Central Government/other State Governments/Public Sector Undertakings, the pensionary services rendered in such Governments /Public Sector Undertakings prior to the joining the Commission shall be taken into account for the purpose of sub-clause (1) above, provided that the Government / organisation, where the officer/employee was previously employed is willing to bear the proportionate pensionary liabilities for the period of service in that Government / organisation.

CHAPTER VI - MISCELLANEOUS

24. Contract Service

If the exigencies of the Commission's service so demands and after recording reasons therefor, any vacant post in the Commission may be temporarily filled through contract for a period normally not exceeding one year at a time and for a total period of three years. *In exceptional cases the Commission may extend this period to five years.*

25. Power of relaxation

The Commission may, in the public interest and after recording reasons in writing, relax the provisions of these regulations, including the eligibility criteria for appointments to posts, in appropriate cases.

26. Interpretation

If any question arises as to the application or interpretation of any of the provisions of these regulations, the same shall be decided by the Commission and the decision of the Commission shall be final and binding. The Commission shall have power to remove difficulties in implementing the regulations.

27. Applicability of Chhattisgarh Civil Services (Classification, Control & Appeal) Rules, 1966 and Chhattisgarh Civil Services (General Condition of Service) Rules, 1961

- (1) Subject to the provisions of these regulations, the Chhattisgarh Civil Services (Classification, Control, and Appeal) Rules 1966, Chhattisgarh Civil Services (Conduct) Rules 1965 and Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Services) Rules, 1961, as amended from time to time, shall be applicable, mutatis mutandis, to the officers and employees of the Commission.
- (2) Except as otherwise provided in these regulations, the other conditions of service of officers and employees of the Commission shall be regulated by the relevant rules of the State Government in force, for its employees.

By order of the Commission,

Sd/-
(N. K. RUPWANI)
Secretary.

ANNEXURE-I

CATEGORIES AND STRENGTH OF OFFICERS/EMPLOYEES IN THE
CHHATTISGAR STATE ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

PART-A

METHOD OF RECRUITMENT & PAY SCALES OF OFFICERS

S.No.	Name of Post	No. of posts	Category (as per Government of C.G. Classification)	Pay Scale (In Rs.)	Source of recruitment
1.	Secretary	1	I	18400-500-22400	Promotion/Deputation
2.	Director (Engg.)	1	-do-	-do-	-do-
3.	Director (Tariff)	1	-do-	-do-	-do-
4.	Joint director (Engg.)	1	-do-	12000-375-16500	Promotion/Deputation
5.	Joint Director (Tariff)	1	-do-	-do-	-do-
6.	Deputy Secretary	1	-do-	-do-	-do-
7.	Deputy Director (Engg.)	1	-do-	10000-335-15200	Direct Recruitment
8.	Deputy Director (Tariff)	1	-do-	-do-	-do-
9.	Financial Analyst	1	-do-	-do-	-do-
10.	Law Officer	1	-do-	-do-	-do-

PART-B

METHOD OF RECRUITMENT & PAY SCALES OF EMPLOYEES

S.No.	Name of Post	No. of posts	Category (as per Government of M.P. Classification)	Pay Scale (In Rs.)	Source of recruitment
1.	Private Secretary	02	III	6500-200-10500	Promotion/ Deputation
2.	Personal Assistant	02	-do-	5500-175-9000	-do-
3.	Jr. Accounts Officer	01	-do-	5000-150-8000	Direct Recruitment
4.	Asstt. Grade-II/Cashier	02	-do-	4000-100-6000	Promotion/Deputation
5.	Assistant Grade III	03	-do-	3050-75-3950-80-4590	Direct Recruitment
6.	Computer Assistant	04	-do-	3500-80-4700-100-5200	Direct Recruitment
7.	Steno Typist	02	-do-	3050-75-3950-80-4590	Direct Recruitment
8.	Driver Grade-I	02	-do-	3050-75-3950-80-4590	Promotion
9.	Driver Grade-II	02	-do-	2610-60-3150-65-3540	Direct Recruitment
10.	Peon	07	IV	2550-55-2660-60-3200	Direct Recruitment

ANNEXURE - II**Appointing Authority, Disciplinary Authority, Appellate Authority and Reviewing Authority for Officers and Employees of the CSERC**

Particular	For officers included in Part 'A' of Annexure-I	For employees included in Part 'B' of Annexure-I
(i) Appointing Authority	Commission	Chairman
(ii) Disciplinary Authority	Chairman	Secretary
(iii) Appellate Authority	Commission	Chairman
(iv) Reviewing Authority	-	Commission

ANNEXURE - III

Qualifications and Experience for Direct Recruitment Posts

NAME OF THE POST	MINIMUM REQUIRED QUALIFICATION AND EXPERIENCE.	ADDITIONAL QUALIFICATIONS/ EXPERIENCE DESIRABLE
1. Deputy Director (Engineering)	<ul style="list-style-type: none"> a. Bachelor's degree in electrical or mechanical engineering from a recognized university. b. 10/12 years professional experience in large power utility in the field of generation. c. Experience in planning designing and operation of generating plants.. d. Good written and verbal communication skill. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Demonstrated knowledge in analytical modelling and setting standards of generation of electricity. b. Familiarity with electricity laws & power sector reforms. c. Computer literacy.
2. Deputy Director (Tariff)	<ul style="list-style-type: none"> a. Bachelor's degree in electrical engineering from a recognized university. b. 10/12 years professional experience in power utility with knowledge of commercial matters and tariff development in power utility/ Electricity Board. c. Experience in designing planning and operation of transmission and distribution system, network availability and load flow. d. Skill in economic analysis and financial analysis. e. Good written and verbal communication skill. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Knowledge of finance and accounts of a power utility. b. Experience in power procurement, power purchase agreements, commercial matters and tariff development. c. Familiarity with electricity law and power sector reform. d. Computer literacy.
3. Financial Analyst	<ul style="list-style-type: none"> a. MBA (Finance) or CA/ICWA/CFA b. 10-12 years professional experience c. Sound analytical and modelling skills and capability in Financial Statement Analysis. d. Experience in cost analysis and accounting. e. Use of MS Office/Spreadsheet and data base skills on computer f. Good verbal and written communication skills 	<ul style="list-style-type: none"> a. Demonstrated knowledge and/or experience in power sector or commercial concern. b. Knowledge of pricing and tariff setting

4. Law Officer

- a. Degree in law from recognized University
- b. Eligibility to practice law.
- c. At least 5 years professional experience.
- d. Good written and verbal communication skill.
- a. Knowledge and/or experience in the Power Sector.
- b. Experience in utility or regulatory law
- c. Computer literacy.

5. Jr. Accounts Officer

- a. Graduate from a recognized university.
- b. Five years professional experience in State Accounts, Treasury Operation, audit, budget, pay rolls and book keeping
- a. Good communication skill.
- b. Experience of working on computer.

6. Assistant Grade-III

- a. Degree from recognized university in any discipline.
- b. Passed Hindi/English Typing Examination from recognized Board.
- a. Good written and verbal communication skill.
- b. Computer literacy.

7. Steno Typist

- a. Degree from recognized university.
- b. Passed Shorthand from recognized Board and Hindi/ English Typing.
- c. Knowledge and practice of working on computer.
- a. Shorthand speed should not less than 100 w.p.m. Typing speed 25/40 w.p.m. Writing speed in Shorthand 60 w.p.m.
- b. Preference will be given to person having bilingual typing and shorthand.

8. Computer Assistant

- a. Degree from recognized university and Post Graduate Diploma in Computer Application (PGDCA) / PGDCM from recognized Institute / University
- OR
- b. BCA or graduate degree in computer from recognized university.
- c. 3 years work experience on computer in any large office.
- a. Good written and verbal communication skill.
- b. Person having good knowledge of computer hardware, local area networking and website and who have passed English Typing from the Board will be given preference.

9. Driver Grade-II

- a. Minimum 8th pass from any recognized Board.
- b. Should hold driving license for Light Motor Vehicle for 5 year.
- c. Driving experience of 2 years.

10. Peon

- a. Minimum 8th pass from any recognized Board.

ANNEXURE - IV

POSTS WHICH MAY BE FILLED BY PROMOTION AND CHANNEL OF PROMOTION

Sl. No.	Promotion post	Post from which promotion to be made	Eligibility
1.	Secretary	Dy. Secretary Joint Director (Engineering) Joint Director (Tariff)	5 years
2.	Director (Engineering)	Joint Director (Engineering)	5 years
3.	Director (Tariff)	Joint Director (Tariff)	5 years
4.	Joint Director (Engineering)	Deputy Director (Engineering)	5 years
5.	Joint Director (Tariff)	Deputy Director (Tariff)	5 years
7.	Private Secretary	Personal Assistant	5 years
10.	Assistant Grade-II	Assistant Grade-II	3 years
11.	Driver Grade-I	Driver Grade-II	3 years